FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0148 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/06/2026 18:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 03/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 20:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:17 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/06/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/06/2026 18:29:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** BHOOTESHWAR MANDIR PARISAR, KASBA BASEDI JILA DOLPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** YESHPAL KUSHAWA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NARAYAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOOLAR KA PURA GRAM PANCHYAT RATANPUR, PANCHYAT SAMITI BASEDI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOOLAR KA PURA GRAM PANCHYAT RATANPUR, PANCHYAT SAMITI BASEDI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESH KUMAR YOGI		पिता:RAMJILAL YOGI	1. MAJARI KALAN,NEEMRANA, कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 01.06.2026 को मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर परिवादी श्री यशपाल कुशवाह निवासी गूलर का पुरा ग्राम पंचायत रतनपुर पंचायत समिति बसेडी, जिला धौलपुर ने अपने मोबाईल नम्बर से समय 07.28 ए.एम पर फोन पर वार्ता कर अवगत कराया किः- मैं ग्राम पंचायत रतनपुर में नरेगा मजूदरो के मैट के रूप में काम कर रहा हूं, हमारी पंचायत रतनपुर का लिपिक रमेश योगी मेरे ऊपर दबाब बनाकर मजूदरो से राशि वसूल कर रिश्वत की मांग कर रहा है तथा रिश्वत राषि 26,000/-(छब्बीस हजार) नहीं देने पर मस्टरोल जारी नहीं करने की धमकी देता है तथा यह भी धमकी दी कि यदि 26,000/-रू नहीं दिये तो मैं मैट भी बदल दूंगा। उक्त सूचना पर परिवादी को ए.सी.बी. की टे्प कार्यवाही की प्रक्रिया से अवगत कराया गया एवं चौकी पर पदस्थापित श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 को परिवादी श्री यशपाल कुशवाह के मोबाईल नम्बर से अवगत कराकर उससे सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराने के निर्देष दिये गये। उक्त सूचना पर श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 मय श्री योगेश सिह कानि. 88 के मय सरकारी वाहन मय श्री शंकर लाल कानि. चालक 500 मय सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी द्वारा दी गई सूचना पर सत्यापन संबंधी कार्यवाही हेतु चौकी से रवाना किया। इसके बाद श्रीकान्त हैड कानि. 72 मय श्री योगेश सिह कानि. 88 मय श्री शंकर लाल कानि. 500 मय सरकारी वाहन के कार्यालय उपस्थित आया, श्रीकान्त हैड कानि. ने विभागीय वॉईस रिकॉर्डर मय परिवादी श्री शपाल कुशवाह द्वारा आरोपी श्री रमेश योगी के विरूद्ध टे्प कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर अवगत कराया किः- मैं निर्देशानुसार चौकी धौलपुर से श्री योगेश सिह कानि. 88 के साथ मय सरकारी वाहन मय चालक के सोनी कम्पनी का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर ग्राम रतनपुरा पहुंचा, जहां पर परिवादी से उसके मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर गोपनीय स्थान पर तलब किया गया। कुछ समय बाद परिवादी मौके पर उपस्थित आया, परिवादी से पूछताछ करने पर उसने शिकायत के संबंध में सूचना देना स्वीकार किया तथा श्री रमेश योगी, लिपिक ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर के विरूद्ध टे्प कार्यवाही करवाने के संबंध में लिखित प्रार्थना-पत्र पेश किया। जिस पर मोबाईल फोन पर प्राप्त निर्देशानुसार परिवादी को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि से अवगत कराया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड (सेनडिस्क कम्पनी के 32 जी.बी) में पूर्व से कोई वार्ता रिकॉर्ड नही होना सुनिश्चित किया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा उसके मोबाईल फोन से मोबाईल का स्पीकर चालू कर आरोपी के मोबाईल फोन पर वार्ता कर आरोपी की लोकेशन जानने का प्रयास किया। जिस पर आरोपी ने अवगत कराया की शाम को मिलते है, उक्त वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् जरिये टेलीफोन हालात से अवगत कराकर, प्राप्त निर्देशानुसार परिवादी के साथ मय जाप्ता मय वाहन के गोपनीय स्थान पर मुकीम रहा। इसके बाद समय 05.08 पी.एम पर निर्देशानुसार श्रीकान्त हैड़ कानि. 72 ने परिवादी की आरोपी से पूर्व में हुई मोबाईल फोन वार्ता के अनुसार ग्राम रतनपुरा के पास मौजूद गुलाबली मोड़ के पास सरकारी वाहन में मुकीम रहकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर गोपनीय सत्यापन हेतु श्री योगेश सिह, कानि. 88 के साथ परिवादी की मोटर साईकिल पर रवाना किया। श्री योगेश सिह कानि. को परिवादी पर निगरानी रखने एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने के बाद अपना परिचय देकर सुपुर्द करने के निर्देश दिये। इसके बाद रवाना शुदा परिवादी मय श्री योगेश सिह कानि. के मोटर साईकिल से श्रीकान्त हैड कानि. 72 के पास गुलाबली मोड़ आये। श्री योगेश सिह कानि. ने सुपुर्द शुदा डीवीआर पेश कर मौखिक रूप से अवगत कराया कि हम रवाना होकर ग्राम रतनपुर के पास नहर पर पहुंचे, जहां पर मैने परिवादी को डीवीआर चालू कर अपना परिचय देकर सत्यापन हेतु आरोपी श्री रमेश योगी लिपिक के पास रवाना किया। तथा मै कुछ दूरी पर उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। इसके बाद करीब एक घन्टा बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डीवीआर मुझे सुपुर्द किया, जिसे मेरे द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद हम दोनों रवाना होकर मौके पर आये। परिवादी ने पूछताछ पर बताया कि रतनपुरा नहर के पास मेरी आरोपी श्री रमेश योगी लिपिक से वार्ता हो गई है, उसने मनरेगा योजना में मस्टरोल जारी करने की एवज में 26,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा हम दोनो के मध्य हुई वार्ता डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है। तथा उसने एक-दो दिन में रिश्वत लेकर मुझे बुलाया है, मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में आ जाऊगा, जिस पर निर्देशानुसार श्रीकान्त हैड कानि. मय जाप्ता के परिवादी को मौके पर छोड़कर मय वाहन के वापस चौकी आया।

मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया तथा डीवीआर को चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। रिकॉर्ड वार्ता के अनुसार कथित आरोपी द्वारा परिवादी से मस्टरोल जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने की पुष्टि होना पाया गया है। फर्द प्राप्ति डीवीआर तैयार कर शामिल कर शामिल कार्यवाही की गई तथा डीवीआर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वंय की अभिरक्षा में सुरक्षित अलमारी में रखा गया। इसके बाद दिनांक 02.06.2026 को समय 11.50 ए.एम पर श्री यशपाल कुशवाह पुत्र श्री नारायण सिह जाति कुशवाह निवासी गूलर का पुरा ग्राम पंचायत रतनपुर पंचायत समिति बसेडी, जिला धौलपुर उपस्थिति कार्यालय आया, जिससे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 01.06.2026 को प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना-पत्र के बारे में पूछताछ की तो बताया कि उक्त प्रार्थना-पत्र मैने मेरे परिचित से लिखवाया है तथा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य सही है, तथा साथ ही अवगत कराया कि मैं पिछले 1 वर्ष से ग्राम पंचायत रतनपुर में नरेगा मजूदरो के मैट के रूप में काम कर रहा हूं। तथा वार्ड पंच के रूप के मे निर्वाचित हूं। मेरा जॉब कार्ड नं. 507078-B हैS, हमारी पंचायत रतनपुर का लिपिक रमेश योगी मेरे ऊपर दबाब बनाकर मजूदरो से राशि वसूल कर रिश्वत की मांग कर रहा है तथा रिश्वत राशि 26,000/-(छब्बीस हजार) नहीं देने पर मस्टरोल जारी नहीं करने की धमकी देता है तथा यह भी धमकी दी कि यदि 26,000/-रू नहीं दिये तो मैं मैट भी बदल दूंगा। मैं रमेश योगी लिपिक को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैने रमेश योगी के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में आपको जरिये टेलीफोन सूचना दी थी तथा कल दिनांक 01.06.2026 को इस संबंध में श्रीकान्त हैड कानि. के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। तथा कल दिनांक 01.06.2026 को ही शाम के समय मेरे और रमेश योगी के मध्य रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हुई थी जो आपके कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई। रमेश योगी के पास रतनपुरा के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों का भी चार्ज है जो सभी पंचायतों के नरेगा मैट पर दबाव बनाकर मस्टरोल जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है मै रमेश योगी लिपिक को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 25 हजार रूपये की व्यवस्था करके आया हूं। मेरी रमेश योगी से कोई व्यक्तिगत रंजिश एवं उधारी का लेन-देन बाकी नही है। इसके बाद परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं गोपनीय सत्यापन से आरोपी श्री रमेश योगी लिपिक द्वारा परिवादी से ग्राम पंचायत रतनपुरा में नरेगा मस्टरोल जारी करने की एवज में 26 हजार रूपये मांग करने की पुष्टि होना पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, धौलपुर के नाम कार्यालय पत्रांक 352 दिनांक 02.06.2026 जारी कर श्री शंकर लाल कानि. चालक 500 को स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात् श्री शंकर लाल कानि. चालक 500 रवाना शुदा वापस कार्यालय आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर पहुंचा, जहां पर कार्यालय पत्र की पालना में अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर द्वारा श्री राकेश कुमार मीना, सहायक अभियन्ता मॉनिटर व श्री लक्ष्मण सिह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को जरिये पत्रांक 985 दिनांक 02.06.2026 से गवाह मनोनीत कर पाबन्द किया, जिस पर दोनो गवाहान को हमराह साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया। इसके बाद कार्यालय में उपस्थित गवाहो से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना श्री राकेश कुमार मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना जित मीना उम्र 35 साल निवासी दीपपुरा पुलिस थाना सदर करौली जिला करौली हाल सहायक अभियन्ता मॉनिटर कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. श्री मेघ सिंह जाति कोली उम्र 44 साल निवासी धनोरा रोड़ बाड़ी जिला धौलपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धौलपुर होना बताया। दोनों गवाहान का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री यशपाल कुशवाह से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री यशपाल कुशवाह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 01.06.2026 दिखाया जाकर पढवाया गया। तो दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये। तथा गवाहान से गोपनीय टे्प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना-पत्र पर अपनी-अपनी लिखित सहमति व्यक्त कर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री यशपाल कुशवाह एवं आरोपी श्री रमेश योगी, लिपिक के मध्य दिनांक 01.06.2026 को हुई मोबाईल फोन वार्ता जिसे कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त वार्ता में मौजूद आवाज की पहचान परिवादी से करवाई गई तो वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेश योगी, लिपिक ग्राम पंचायत रतनपुर पंचायत बसेडी जिला धौलपुर की होना पहचान किया जाने पर वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासंक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि. 71 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री यशपाल कुशवाह एवं आरोपी श्री रमेश योगी, लिपिक ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर के मध्य दिनांक 01.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त वार्ता में मौजूद आवाज की पहचान परिवादी से करवाई गई तो वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेश योगी, लिपिक ग्राम पंचायत रतनपुर पंचायत बसेडी जिला धौलपुर की होना पहचान किया जाने पर वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासंक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही के क्रम में

परिवादी श्री यशपाल कुशवाह पुत्र श्री नारायण सिंह उम्र 32 वर्ष जाति कुशवाह निवासी गुलर का पुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुरसे आरोपी रमेश योगी लिपिक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 50 (पचास) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल रकम मूल्य 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः- 01.एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 KQ 443000, 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 MN 470736, 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4F T 703080, 04. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 RT 817544, 05. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 TB 123925, 06. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 PB 576601, 07. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 KQ 352891, 08. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 WR 039667, 09. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 EA 380383, 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 KD 844201, 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 BG 554793,12. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 DB 252059,13. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 FC 845499, 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 SQ 704046, 15. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 LM 987197,16. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 DD 610009, 17. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 VU 809811, 18. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 PE 977730, 19. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 DN 683106, 20. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 DH 785888, 21. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 VW 776385, 22. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 DR 739545, 23. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 NS 229225, 24. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 FW 460627, 25. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 EK 173326, 26. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 DF 932897, 27. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 TA 386558, 28. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 TU 400701, 29. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 LG 476332, 30. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 AD 122907, 31. एक नोट पॉच सौ रूपये का 3 UT 258916, 32. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 BC 129503, 33. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 SR 108683, 34. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 DM 624449, 35. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 AS 441558, 36. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 CQ 351512, 37. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 SR 950326, 38. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 SR 950325, 39. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 KQ 263562, 40. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 LW 963444, 41. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 NE 653946, 42. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 AR 602523, 43. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 VQ 847333, 44. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 AL 013469, 45. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 TA 373960, 46. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 DH 214515, 47. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 VS 363111, 48. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 AM 571876, 49. एक नोट पॉच सौ रूपये का 2 TV 740061. 50. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 PF145433 । उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया, तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. 72 प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री यशपाल कुशवाह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मीना सहायक अभियन्ता मॉनिटरसे लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 25,000/-(पच्चीस हजार) रूपये के नोटों को श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि0 67 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी से अभिवादन के समय हाथ नही मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद सिर पर अपना हाथ फेरकर नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे। उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त टे्रप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्रप बॉक्स में रखवाया गया। इसी दौरान परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी ने मुझे कल रिश्वत लेकर घर पर बुलाया है इसलिए टे्रप कार्यवाही कल ही संभव हो सकेगी। परिवादी द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों के आधार पर दिनांक

02.06.2026 को टे्प कार्यवाही प्रस्तावित नहीं होने से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी तरफ की जेब में रखी रिश्वत राशि को श्रीमति महिला कानि. 67 से निकलवाई जाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाई जाकर सुरक्षित मालखाना में रखा गया। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तथा परिवादी श्री यशपाल कुशवाह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 03.06.2026 को प्रात छः बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया एवं कार्यालय हाजा के स्टाफ को भी प्रात उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। दिनांक 03.06.2026 को समय 06.00 ए.एमः परदोनों स्वतंत्र गवाहान कार्यालय उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में मुकीम रखा गया तथा परिवादी श्री यशपाल कुशवाह ने फोन कर अवगत कराया कि मैं कस्बा बसेडी में मिल जाऊगा। इसके बाद समय 06.30 ए.एम पर श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि. 71 व श्री मनोज कुमार कानि. 179 श्री बृजेश जोनवाल कानि. 383 मय स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीना सहायक अभियन्ता मॉनिटर व श्री लक्ष्मण सिह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सरकारी वाहन मय श्री शंकर लाल कानि. चालक 500 से टे्प कार्यवाही की प्रक्रिया में बसेडी जिला धौलपुर रवाना किया तथा उनके पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराह श्रीकान्त हैड कानि. 72 श्री योगेश सिह कानि. 88 मय श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 मय श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक के निजी कार से मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर, की-बोर्ड, माउस, मय विभागीय मोबाईलमय अन्य विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड व मय रिश्वत राशि का लिफाफा के एवं टे्प कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली साम्रगी के ट्रेप बॉक्स के साथ बसेडी जिला धौलपुर रवाना हुआ। इसके बाद समय 07.20 ए.एम परमन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर, की-बोर्ड, माउस, मय विभागीय मोबाईलमय अन्य विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड व मय रिश्वत राशि का लिफाफा के एवं टे्प कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली साम्रगी के ट्रेप बॉक्स के सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से कस्बा बसेडी पहुंचा।कस्बा बसेडी में नहर के पास परिवादी श्री यशपाल कुशवाह उसकी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला, जिसने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि आरोपी अभी अपने किराये के कमरे पर मौजूद मिलेगा, जिस पर परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया एवं टे्प बॉक्स में से रिश्वत राशि का लिफाफा निकलवाकर लिफाफे में से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोट श्रीकान्त हैड कानि. 72 से परिवादी की पेन्ट की दायीं जेब में रखवाये गये। एवं खाली लिफाफे को नष्ट करवाया गया तथा श्रीकान्त हैड कानि. 72 के हाथ धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त रिश्वत राशि आरोपी के मांगने पर ही दी जावे एवं रिश्वत राशि देने से पूर्व डीवीआर को चालू कर वार्ता को रिकॉर्ड करे। तथा रिश्वत देने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिस्कॉल देकर सूचित करे। तत्पश्चात् परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल पर रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही हेतु आरोपी के किराये के मकान पर श्री योगेश कानि. 88 के साथ रवाना किया एवं पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के वाहनो से रवाना हुआ। तत्पश्चात् परिवादी मय श्री योगेश सिह कानि. 88 के साथ उसके मोटरसाईकिल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास वापस आया तथा अवगत कराया कि आरोपी उसके किराये के कमरे पर मौजूद नहीं मिला है, उससे मोबाईल फोन पर वार्ता करने पर बताया कि मैं 10.00 बजे तक ग्राम पंचायत निधारा में मिल लूंगा। उक्त सूचना पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी एवं श्री योगेश कानि. को गोपनीय स्थान पर रहने के निर्देश दिये तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के वाहनो से कस्बा बाडी की ओर गोपनीय स्थान पर रवाना हुआ। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के कस्बा बाडी से कस्बा बसेडी की ओर आया जहां पर निधारा मोड के पास सड़क पर परिवादी यशपाल कुशवाह व श्री योगेश सिह कानि. 88 उपस्थित मिले, जहां पर परिवादी ने अवगत कराया कि उसके पास आरोपी का फोन आया है, आरोपी ने उसे रिश्वत लेन-देन हेतु कस्बा बसेडी में भूतेश्वर मंदिर पर बुलाया है। उक्त सूचना पर परिवादी को रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही हेतु श्री योगेश सिह कानि. के साथ मोटरसाईकिल पर भूतेश्वर मंदिर पर रवाना कर निर्देशित किया कि आरोपी के पास जाने से पूर्व डीवीआर को चालू कर आरोपी से रिश्वत लेन-देन वार्ता को रिकॉर्ड करे। तथा उनके पीछे-पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के वाहनों से भूतेश्वर मंदिर के पास रवाना हुआ। समय 09.50 ए.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्तवंत्र गवाहान के भूतेश्वर मंदिर से करीब 200 मीटर दूर पहुंचा, जहां पर वाहनों को रोड़ के एक तरफ खड़ा कर श्रीकान्त हैड कानि. 72 एवं श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 को परिवादी की निगरानी हेतु भूतेश्वर मंदिर परिसर में रवाना किया। तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान परिवादी के ईशारा की प्रतिक्षा में मुकीम रहा। इसके बाद समय 10.17 ए.एम पर परिवादी के साथ टे्प कार्यवाही में मौके पर उपस्थित श्री योगेश सिह कानि. ने आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने के संबंध में जरिये वॉट्सएप पर मैसेज कर सूचित किया। उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्तवंत्र गवाहान के भूतेश्वर मंदिर के मैन गेट के बाहर वाहनो को खड़ा कर मंदिर के अन्दर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री यशपाल कुशवाह मय जाप्ता श्रीकान्त हैड कानि. 72 एवं श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 उपस्थित मिला। परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि आज भूतेश्वर मंदिर बसेडी में पंचायत समिति बसेडी द्वारा श्रम दान का कार्य किया जा रहा है तथा आरोपी ने मुझे फोन करके रिश्वत लेन-देन के लिए इसी मंदिर परिसर पर बुलाया था, जिस पर मैं व श्री योगेश सिह कानि. मोटर साईकिल से एवं शेष जाप्ता हमारे पीछे-पीछे मंदिर में आया। मंदिर के अन्दर आरोपी के पास जाने से पूर्व मैने डीवीआर

को चालू कर लिया था। श्री योगेश सिह कानि. व शेष जाप्ता मंदिर के अन्दर ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मौजूद रहे। इसी दौरान मै मंदिर परिसर में बने चबूतरे के पास उपस्थित आरोपी श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक से मेरी मस्टरोल जारी करने के संबंध में बातचीत हुई एवं बातचीत के दौरान ही उसने मुझसे 25 हजार रूपये रिश्वत राशि अपने हाथो से लेकर पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायीं जेब में रख ली। आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने के पश्चात् मैने मंदिर परिसर के अन्दर मौजूद श्री योगेश सिह कानि. पूर्व निर्धारित ईशारा किया था तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्री योगेश कानि. को पेश कर दिया था जिसे उन्होने बन्द कर स्वंय के पास सुरक्षित रख लिया था। परिवादी ने मंदिर परिसर के अन्दर मौजूद नीले रंग की चैक शर्ट पहने हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर अवगत कराया कि यही व्यक्ति श्री रमेश कुमार योगी, लिपिक है जिसने मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर पेन्ट की जेब में रखी है। उक्त सूचना पर भूतेश्वर मंदिर बसेडी के परिसर में चबूतरे पर नीले-सफेद रंग की चैक शर्ट पहने व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने मय जाप्ता डिटेन कर स्वंय का परिचय देकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने स्वंय का नाम श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति योगी उम्र 45 निवासी माजरी कलां पुलिस थाना नीमराना जिला बहरोड-कोटपूतली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर का होना बताया। जिससे परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि 25 हजार रूपये के बारे में पूछा तो उसने 25 हजार रूपये प्राप्त कर पेन्ट की जेब में रखना स्वीकार किया तथा कहा कि यह हम दोनों के मध्य लेन-देन के पैसे है, जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी की वार्ता का खण्डन करते हुये बताया कि हम दोनों के मध्य कोई उधारी का लेन-देन बकाया नही है। मै ग्राम पंचायत रतनपुर में मैट का काम करता हूं तथा रमेश कुमार लिपिक मस्टरोल जारी करने की एवज में मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा था जिससे शिकायत मैने आपके कार्यालय में पेश की थी जिसका दिनांक 01.06.2026 को सत्यापन करवाया गया था, सत्यापन के दौरान श्री रमेश कुमार योगी ने मस्टरोल जारी करने की एवज में मेरे से 26 हजार रूपये की स्पष्ट मांग करी थी तथा आज भी रिश्वत लेन-देन के दौरान पंचायत समिति बसेडी के बीडीओ तथा कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत देने के पश्चत् ही मस्टरोल जारी करने को कहा। जिस पर आरोपी से पुनः पूछताछ की तो आरोपी ने परिवादी से ग्राम पंचायत रतनपुरा में मस्टरोल जारी करने की एवज में 25 हजार की रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर जेब में रखना स्वीकार किया। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी की पेन्ट की सामने दायी जेब में रखी रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मीना सहायक अभियन्ता मॉनीटर से निकलवाकर गिनवाया गया तो पॉच-पॉच सौ रूपये के कुल 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये होना पाया गया। नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी नोट से कराया गया तो उक्त नोट वही नोट होना पाये गये जो परिवादी द्वारा फर्द पेशकशी नोट में पेश किये गये थे। नोटो का विवरण फर्द पर अंकित है। इस प्रकार उक्त बरामद शुदा सभी नोट रिश्वत राशि के होने पर सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति की स्वीकारोक्ति के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर भूतेश्वर मंदिर मे लगी पानी की टंकी मे से साफ पानी मंगवाकर डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर एक गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग रंगहीन रहा, जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री रमेश कुमार योगी, कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की पृथक-पृथक साफ शीशीयों में भरवाकर सील मोहर एवं चिट चस्पा करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः नया डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री रमेश कुमार योगी, कनिष्ठ सहायक के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूठा को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की अलग-अलग साफ शीशीयों में भरवाकर सील मोहर एवं चिट चस्पा करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। इसी दौरान आरोपी ने कहा कि ग्राम पंचायत रतनपुर की मस्टरोल जारी करने के लिए बीडीओ एवं कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत देनी पड़ती है मै मेरे फोन से बीडीओ से वार्ता कर सकता हूं। पंचायत समिति बसेडी में बीडीओ के पद पर रामजीलाल मीना पदस्थापित है, जिनके मोबाईल नम्बर 9799167214 है, उक्त कथन की पुष्टि हेतु आरोपी के मोबाईल नम्बर 9352723360 से समय 10.33 ए.एम पर 20 सैकण्ड, समय 10.35 ए.एम पर 37 सैकण्ड, समय 10.36 ए.एम पर 23 सैकण्ड, एवं समय 10.39 ए.एम पर 08 सैकण्ड, पर कुल चार बार वार्ताऐ करवाई गई तथा उक्त वार्ताओ को आरोपी के मोबाईल का स्पीकर चालू कर विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाया गया। उक्त चारो वार्ताओ में बीडीओ द्वारा उक्त कार्यवाही से संबंधित रिष्वत प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार की स्वीकारोक्ति व्यक्त नही की गई। आरोपी की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो ग्राफी विभागीय मोबाईल के जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 से करवाई गई। मौके पर विद्धुत एवं अग्रिम कार्यवाही करने की प्रर्याप्त व्यवस्था नही होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक मय डिटेन शुदा आरोपी मय स्वतंत्र गवाहान मय

परिवादी मय शील्डशुदा आर्टिकल्स व हमराही जाप्ता के पास में स्थित पुलिस थाना बसेडी पर रवाना होकर प्राईवेट व सरकारी वाहनो से पुलिस थाना बसेडी पहुंचा। पुलिस थाना बसेडी पर थाना प्रभारी श्री बालकृष्ण पुलिस निरीक्षक से टेªप कार्यवाही प्रक्रिया किये जाने हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाने बाबत अवगत कराया गया, जिस पर पुलिस थाना भवन में एक कमरा उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात् एक पायजामा की व्यवस्था करवाकर आरोपी की वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट को बदलवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मे से डिस्पोजल गिलास को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर एक गिलास में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग रंगहीन रहा, जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया।इस पर डिस्पोजल गिलास के घोल में श्री रमेश कुमार योगी, कनिष्ठ सहायक के उक्त पेन्ट की सामने की दायीं साईड की जेब को धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की पृथक-पृथक साफ शीशीयों में भरवाकर सील मोहर एवं चिट चस्पा करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। आरोपी की उक्त पेन्ट नीली व हल्की सफेद लाईनिंग की है जिस पर NETPLAY SIGNATURE- SLIMFIT अंकित है, पेन्ट की जेब को सुखवाकर उस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मौहर कर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क P अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी को वक्त रिश्वत लेन-देन सुपुर्द शुदा डीवीआर श्री योगेश सिह कानि. 88 से प्राप्त कर रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिष्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी। कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान आरोपी के मोबाईल फोन नम्बर से परिवादी की कई बार वार्ता होना पाया गया है। अतः आरोपी के कब्जे में मिले मोबाईल फोन विवो वी 2025 व रंग काला सिल्वर को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर जप्त किया गया एवं एक सफेद कपडे की थैली पर विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मोहर कर मार्क MOB अंकित किया गया। आरोपी श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री यशपाल कुशवाह के द्वारा ग्राम पंचायत रतनपुर में मैट के रूप में तैयार कर पेश की गई मस्टरोल के बारे में पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि यशपाल कुशवाह ने ग्राम पंचायत रतनपुर में मैट के रूप में काम किया था तथा मैट को प्रत्येक 15 दिवस में नरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिको की मस्टरोल जारी की जाती है। यशपाल कुशवाह ने 30 अप्रैल वर्ष 2026 तक की जारी की गई मस्टरोल मेरे पास जमा करवा दी गई थी जो मैने डब्ल्यू.डी.एस.सी विभाग को भिजवा दी। तथा 01 मई वर्ष 2026 से 15 मई वर्ष 2026 तक की मस्टरोल मेरे किराये के कमरे पर रखी हुई है। आरोपी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति योगी उम्र 45 निवासी माजरी कलां पुलिस थाना नीमराना जिला बहरोड-कोटपूतली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रतनपुर पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री यशपाल कुशवाह से ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर में मनरेगा योजना में श्रमिको की उपस्थिति विवरणिका (मस्टरोल) जारी करने की एवज में 26,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई उक्त मांग के अनुसरण में आरोपी द्वारा दिनांक 03.06.2026 को 25 हजार रिश्वत राशि प्राप्त कर पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखी गई, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाये जाने पर आरोपी को कारित अपराध से जरिये नोटिस अवगत कराया जाकर डिटेन किया गया। कार्यवाही की फर्द जप्ती व बरामदगी रिश्वत राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद डिटेन शुदा आरोपी रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि मस्टरोल जारी करने की एवज में प्राप्त की गई रिश्वत राशि पंचायत समिति बसेडी के बीडीओ एवं कनिष्ठ अभियन्ता को देनी पड़ती है तथा उनकी सहमति से मैट को मस्टरोल जारी होती है, पंचायत बसेडी में विकास अधिकारी के पद पर रामजीलाल मीना बीडीओ के पद पदस्थापित है, जिसने पूर्व में भी मेरे से रिश्वत मांगी थी तथा उसके लडके अभिषेक मीना के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 22.04.2026 को मेरे से 10 हजार जरिये फोन पे एपलीकेशन डलवाये थे। उक्त राशि मेरे वेतन खाता राजस्थान ग्रामीण बैंक से उसके लडके के खाते में गई थी। मेरे वेतन खाते के नम्बर आज मुझे याद नही है। इसके बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्रीकान्त हैड कानि. 72 मय डिटेन शुदा आरोपी रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय श्री शंकरलाल कानि. चालक 500 से पुलिस थाना बसेडी से रवाना होकर आरोपी के किराये का मकान, मकान मालिक श्री रवि कुमार शर्मा के घर पर पहुंचा, जहां पर आरोपी ने मकान के बाहरी हिस्से में बने किराये के कमरे में परिवादी श्री यशपाल कुशवाह को दिनांक 01.05.2026 से दिनांक 15.05.2026 तक जारी की गई मस्टररोल की प्रति के छः पेज, उक्त प्रत्येक पेज पर रामजीलाल मीना विकास अधिकारी, पंचायत समिति बसेडी के हस्ताक्षर मय मौहर के अंकित है तथा उक्त मस्टररोल के सभी पेजो पर कनिष्ठ अभियन्ता श्री ललित कुमार के हस्ताक्षर मय सील अंकित है। तथा ही उक्त मस्टररोल के साथ भुगतान सूची की छायाप्रति प्रस्तुत की। पेश किये गये सभी दस्तावेजो को बाद अवलोकन, स्वतंत्र गवाहान व आरोपी के हस्ताक्षर करवाने के बाद शामिल पत्रावली किया गया। तथा मन् उप पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्रीकान्त हैड कानि. 72 मय डिटेन शुदा आरोपी रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय श्री शंकरलाल कानि. चालक 500 के आरोपी के किराये के मकान से रवाना होकर पुलिस थाना बसेडी वापस आया तथा अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ। तत्पश्चात् स्वतंत्र

गवाहान के समक्ष आरोपी रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक को मोबाईल वार्ता व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.06.2026 एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 03.06.2026 की रिकॉर्ड वार्ताओं को जरिये कम्प्यूटर व स्पीकर चलाकर सुनवाया गया तथा आवाज नमूना देने हेतु लिखित में नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसी नोटिस पर लिखित में प्रतिउत्तर पेश किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं प्राप्त नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर द्वारा परिवादी यशपाल कुशवाह से ग्राम पंचायत रतनपुर में मस्टररोल जारी करने की एवज में 25,000/-रू रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचर निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को कारित अपराध के संबंध में जरिये नोटिस पृथक से सूचित किया गया है। नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति योगी उम्र 45 निवासी माजरी कलां पुलिस थाना नीमराना जिला बहरोड-कोटपूतली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों एवं कारित अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत कराते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री यशपाल कुशवाह एवं आरोपी श्री रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 03.06.2026 को हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जिसे कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त वार्ता में मौजूद आवाज की पहचान परिवादी से करवाई गई तो वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक की होना पहचान किया जाने पर वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासंक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी रमेश कुमार ने कथन किया है कि कहा कि ग्राम पंचायत रतनपुर की मस्टरोल जारी करने के लिए बीडीओ एवं कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत देनी पड़ती है मै मेरे फोन से बीडीओ से वार्ता कर सकता हूं। पंचायत समिति बसेडी में बीडीओ के पद पर रामजीलाल मीना पदस्थापित है, जिनके मोबाईल नम्बर   है, उक्त कथन की पुष्टि हेतु आरोपी के मोबाईल नम्बर   से समय 10.33 ए.एम पर 20 सैकण्ड, समय 10.35 ए.एम पर 37 सैकण्ड, समय 10.36 ए.एम पर 23 सैकण्ड, एवं समय 10.39 ए.एम पर 08 सैकण्ड, पर कुल चार बार वार्ताऐ करवाई गई थी तथा उक्त वार्ताओ को आरोपी के मोबाईल का स्पीकर चालू कर विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त चारो वार्ताओं की स्वतंत्र गवाहान के समक्ष क्रमशः फर्द ट्रासंक्रिप्ट मोबाईल फोन वार्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वार्ता की हूबहू फर्द ट्रासंक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्तवंत्र गवाहान मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक मय जप्तशुदा आर्टिकल मय वाहनो के पुलिस थाना बसेडी से रवाना होकर भूतेश्वर मंदिर पर पहुंचा जहां परिवादी की निशानदेही से ट्रेप कार्यवाही एवं रिश्वत राशि, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका की फर्द समय 07.10 पी.एम पर तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक के जप्तषुदा आर्टिकल्स के प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी धौलपुर रवाना हुआ। तथा परिवादी को श्री मनोज कुमार कानि. 179 के साथ परिवादी की मोटर साईकिल से एसीबी चौकी धौलपुर रवाना किया। तथा श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 को तहरीर देकर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर की अभिरक्षा रखने के निर्देश देकर जाप्ता श्री बृजेश जोनवाल कानि.,, स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक के साथ सरकारी वाहन में मय चालक के धौलपुर रवाना किया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय जप्तशुदा आर्टिकल मय प्राइ्रवेट वाहन के एसीबी चौकी धौलपुर आया,, इसी दौरान परिवादी व श्री मनोज कुमार कानि. 179 भी परिवादी की मोटर साईकिल से एसीबी चौकी धौलपुर पर आया। ट्रेप कार्यवाही में जप्त शुदा आर्टिकल मय रिश्वत राशि व ट्रेप बॉक्स आदि को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दुरूस्त हालात में सुपुर्द कर बाद इन्द्राज जमा मालखाना करवाया गया। कुछ समय बाद श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. 71 मय जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन के कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री इन्द्रजीत सिह हैड कानि. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि निर्देशानुसार आरोपी का राजकीय सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तत्पश्चात् आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली की अभिरक्षा मे छोडकर मय जाप्ता कार्यालय आया। आरोपी के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी रिपोर्ट एवं थाना कोतवाली पर सुपुर्द करने संबंधी नकल रपट रोजनामचाआम की प्रति को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् कार्यवाही के क्रम मेंस्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 01.06.2026 को परिवादी श्री यशपाल कुशवाह व आरोपी रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर के मध्य हुई मोबाईल फोन वार्ता फाईल नम्बर 260601-1046 एवं परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 01.06.2026 को हुई आमने-सामने रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता फाईल नम्बर 260601-1714 एवं परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 03.06.2026 को रिश्वत लेन-देन वार्ता फाईल नम्बर 260603-0949 एवं टे्रप कार्यवाही के दौरान आरोपी रमेश कुमार व बीडीओ रामजीलाल मीना के मध्य दिनांक 03.06.2026 को हुई मोबाईल फोन पर चार वार्ताऐं फाईल नम्बर क्रमशः 260603-1033, 260603-1035, 260603-1037, 260603-1039, जिन्हे कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड में सेव किया गया था। उक्त वार्ताओं को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी कम्प्यूटर के माध्यम से 03 (तीन) पृथक-पृथक पैनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी में श्री योगेश सिह कानि. 88 से कॉपी (प्रतिलिपिकरण) करवाया गया। तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर MD5 व SHA1 की सहायता से मूल मैमोरी कार्ड एवं न्यायालय प्रति के पैनड्राईव व आरोपी को दी जाने वाली कॉपी शुदा पैनड्राईव की हैष वैल्यू श्री योगेश सिह कानि. 88 से तैयार करवाई जाकर, हैष वैल्यू का प्रिन्टआउट लिया गया, संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। एक कॉपी शुदा पैनड्राईव (32 जीबी) बतौर बजह सबूत न्यायालय के लिए, एक कॉपी शुदा पैनड्राईव (32 जीबी) आरोपी के लिए पृथक-पृथक कपडे की थैली में सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक कॉपी शुदा पैनड्राईव (32 जीबी) अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। उपरोक्त तीनो पैनड्राईव पर मार्क PD अंकित किया गया। टे्रप कार्यवाही में कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में उपयोग मे लिये गये मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी को बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए कवर सहित रखा जाकर कवर पर हस्ताक्षर कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर करके मार्क M अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सील्ड शुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। कार्यवाही की फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड व प्रतिलिपिकरण पैनड्राईव तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध परिवादी श्री यशपाल कुशवाह से 25 हजार रू रिश्वत मांग कर प्राप्त करने पर टे्रप कार्यवाही के दौरान आरोपी के हाथ धुलाई की विडियोग्राफी फाईल नम्बर 20260603-104820 व रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी फाईल नम्बर 20260603-102249जरिये श्री योगेश सिह कानि. 88 द्वारा विभागीय मोबाईल फोन से करवाई गई थी, मोबाईल फोन को कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर मूल मैमोरी कार्ड से विडियोग्राफी की दो अलग-अलग पैनड्राईव तैयार करवाई गई। तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर MD5 व SHA1की सहायता से मूल मैमोरी कार्ड एवं आई.ओ प्रति के पैनड्राईव व आरोपी को दी जाने वाली कॉपी शुदा पैनड्राईव की हैष वैल्यू श्री योगेश सिह कानि. 88 से तैयार करवाई जाकर हैष वैल्यू का प्रिन्टऑउट लिया गया, संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। एक कॉपी शुदा पैनड्राईव (32 जीबी) आरोपी के लिए कपडे की थैली में सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक कॉपी शुदा पैनड्राईव (32 जीबी) अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। उपरोक्त दो पैनड्राईव पर मार्क PD-1अंकित किया गया। टे्रप कार्यवाही की प्रक्रिया में की गई विडियोग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में लगे मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी को बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए कवर सहित रखा जाकर कवर पर हस्ताक्षर कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर करके मार्क M-1 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सील्ड शुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। कार्यवाही की फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड व प्रतिलिपिकरण पैनड्राईव तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री यशपाल कुशवाह के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एएसपी एसीबी धौलपुर (50) लिखा हुआ है, उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया। सम्पूर्ण टे्रप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री यशपाल कुशवाह से ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर में मनरेगा योजना में श्रमिको की उपस्थिति विवरणिका (मस्टरोल) जारी करने की एवज में आरोपी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति योगी उम्र 45 निवासी माजरी कलां पुलिस थाना नीमराना जिला बहरोड-कोटपूतली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर, द्वारा परिवादी से 26,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई जिसकी शिकायत दिनांक 01.06.2026 को परिवादी श्री यशपाल कुशवाह द्वारा लिखित रूप से एसीबी चौकी धौलपुर पर पेश की गई। शिकायत में वर्णित तथ्यों का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के माध्यम से दिनांक 01.06.2026 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी रमेश कुमार, कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से छब्बीस हजार रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि होना पाया गया। सत्यापन उपरान्त दिनांक 03.06.2026 को टे्रप कार्यवाही के आयोजन के दौरान आरोपी कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से पच्चीस हजार रिश्वत राशि प्राप्त कर पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायीं जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी के दोनो हाथों का धोवन हल्का गुलाबी व पेन्ट की जेब, जिससे रिश्वत राशि बरामद की गई थी का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है। टे्रप कार्यवाही दिनांक 03.06.2026 के दौरान गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेश कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत लेन-देन वार्ता एवं पूछताछ श्री रामजीलाल मीना खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति जिला धौलपुर व अन्य को रिश्वत देने के पश्चात् ही मस्टररोल जारी करने का कथन किया है तथा उक्त संबंध में गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेश कुमार के मोबाईल नम्बर से श्री रामजीलाल मीना के मोबाईल नम्बर पर

टे॰प कार्यवाही के दौरान चार बार मोबाईल फोन पर हुई वार्ता रिकॉर्ड की गई है, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी ने यह भी कथन किया है कि पंचायत बसेडी में विकास अधिकारी के पद पर रामजीलाल मीना बीडीओ के पद पदस्थापित है, जिसने पूर्व में भी मेरे से रिश्वत मांगी थी तथा उसके लडके अभिषेक मीना के मोबाईल नम्बर पर दिनांक 22.04.2026 को मेरे से 10 हजार जरिये फोन पे एपलीकेशन डलवाये थे। उक्त राशि मेरे वेतन खाता राजस्थान ग्रामीण बैंक से उसके लडके के खाते में जमा हुई थी। उक्त आरोपो के संबंध में श्री रामजीलाल मीना खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर से अनुसंधान होना शेष है। इस प्रकार अब तक की टे॰प कार्यवाही से आरोपी श्री रमेश कुमार योगी पुत्र श्री रामजीलाल योगी जाति योगी उम्र 45 साल निवासी माजरी कलां पुलिस थाना नीमराना जिला बहरोड-कोटपूतली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री यशपाल कुशवाह से ग्राम पंचायत रतनपुर पंचायत समिति बसेडी में मस्टररोल जारी करने की एवज में 25,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया है, आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया गया है। कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुरकी सेवा में सादर प्रेषित है। (ज्ञानचन्द) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमेश कुमार योगी पुत्र श्री रामजीलाल योगी जाति योगी उम्र 45 साल निवासी माजरी कलां पुलिस थाना नीमराना जिला बहरोड-कोटपूतली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रतनपुर, पंचायत समिति बसेडी जिला धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 103 पर अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 911-14 दिनांक 06.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/06/2026 18:40:13

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)